न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, अजमेर (राज.) एवं
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम–1, अजमेर।

पीठासीन अधिकारी – डा. रेनू श्रीवास्तव, (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
फौजदारी विविध प्रकरण संख्या 271/2026

सुनीता पत्नि श्री मुकेश उर्फ चोटी, उम्र 34 वर्ष, निवासी सांसी बस्ती, भगवानगंज, रामगंज, अजमेर, हाल बंदी केन्द्रीय कारागृह, अजमेर।

–– प्रार्थी–अभियुक्ता

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक, अजमेर। –– अभियोगी

जमानत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 483 भा.ना.सु.सं. सपठित धारा 37 एनडीपीएस एक्ट प्रथम सूचना सं. 45/2026 पुलिस थाना रामगंज, जिला अजमेर अपराध अन्तर्गत धारा 8/22 एन.डी.पी.एस.एक्ट

उपस्थित:
1. श्री अजय कुमार वर्मा, अधिवक्ता, प्रार्थी-अभियुक्ता की ओर से।
2. अपर लोक अभियोजक, राजस्थान राज्य की ओर से।

आदेश **दिनांक 17.03.2026**

1- प्रार्थी-अभियुक्ता सुनीता पत्नि श्री मुकेश उर्फ चोटी की ओर से यह जमानत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 483 भा.ना.सु.सं. के तहत उसके विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया, जिसकी नकल विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलायी गई। बहस जमानत प्रार्थना–पत्र पर सुनी गई। संबंधित पत्रावली का अवलोकन किया गया।

2- प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अभियोगी थानाधिकारी, थाना रामगंज ने मय जाप्ता दिनांक 21.02.2026 को रवाना होकर दौराने गश्त करीबन 03.05 पी.एम. पर राधा स्वामी सत्संग, भगवानगंज, अजमेर पहुँचे जहाँ राधास्वामी चौराहे से राधास्वामी सत्संग की तरफ जाने वाली सड़क पर एक काले रंग की स्कूटी के उपर नीले रंग की टीशर्ट पहने आदमी व सलवार कुर्ता पहने हुयी एक महिला आये। जिस पर शंका होने पर स्कूटी चला रहे मुकेश उर्फ चोटी को चैक किया तो मुकेश उर्फ चोटी की जींस की जेब में एक सफेद रंग की पारदर्शी थैली मिली जिसको खोलकर चैक किया तो मटमैले रंग का दानेदार पदार्थ मिला,जो मादक पदार्थ एमडी पाउडर होना बताया। अवैध मादक पदार्थ एमडी पाउडर को अनुसंधान बॉक्स में से इलेक्ट्रॉनिक कांटा निकालकर तोल करने पर प्लास्टिक की थैली सहित अवैध मादक पदार्थ एमडी पाउडर का कुल वजन 97.49 ग्राम हुआ। उक्त पर प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 45/2026 दर्ज कर प्रकरण में अनुसंधान अमल में लाया गया एवं अब तक के अनुसंधान से प्रार्थी/अभियुक्ता के विरूद्ध धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट का मामला प्रथम दृष्टया बनना पाया गया।

Authenticated Document

3- अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थी/अभियुक्ता के विरूद्ध हस्तगत प्रकरण के अतरिक्त अन्य कोई प्रकरण लंबित नहीं होना जाहिर किया गया है।

4- बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थी-अभियुक्ता की ओर से निवेदन किया गया है कि प्रकरण में प्रार्थी-अभियुक्ता को झूंठा फंसाया गया है, प्रार्थिया से किसी प्रकार का मादक पदार्थ जब्त नहीं किया है, तथा प्रार्थी/अभियुक्ता के विरूद्ध अनुसंधान किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्ता माननीय न्यायालय के समस्त आदेशों एवं शर्तों की पालना करने को तैयार एवं तत्पर है, अतः हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्ता को जमानत पर रिहा किया जाऐ।

5- विपरीत पक्ष अपर लोक अभियोजक द्वारा प्रार्थी/अभियुक्ता पर आरोपित अपराध को गम्भीर बता, जमानत प्रार्थना-पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

6- हमने उभयपक्ष के तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया, संबंधित पत्रावली व विधि का अवलोकन किया गया।

7- प्रकरण में प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं केस डायरी के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रार्थी-अभियुक्ता के विरूद्ध धारा 8/22 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम का अपराध प्रमाणित पाया गया है। केस डायरी व तथ्यात्मक रिपोर्ट के अवलोकन से प्रार्थी/अभियुक्ता व सहअभियुक्त मुकेश उर्फ चोटी जो उसका पति है के कब्जे से पारदर्शी थैली सहित 97.49 ग्राम एम.डी. पाउडर बरामद हुआ जो कि वाणिज्यिक मात्रा से अधिक है। प्रार्थी/अभियुक्ता द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है, वर्तमान में मादक पदार्थ के व्यवसाय एवं तस्करी से समाज के युवा वर्ग को नशे की लत लगने का गम्भीर खतरा विद्यमान है व प्रार्थी/अभियुक्ता को इस प्रक्रम पर जमानत पर रिहा किये जाने से पुनः उनके अपराध में संलिप्त होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः जप्तशुदा मादक पदार्थ की मात्रा को देखते हुऐ, हस्तगत प्रकरण के अपराध की गम्भीरता तथा प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों व अधिनियम की धारा 37 के आज्ञापक प्रावधानों के मध्ये नजर प्रकरण के गुणावगुण पर अधिक टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्ता को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित नहीं पाया जाता है।

8– परिणामस्वरूप प्रार्थी/अभियुक्ता सुनीता पत्नि श्री मुकेश उर्फ चोटी, उम्र 34 वर्ष, निवासी सांसी बस्ती, भगवानगंज, रामगंज, अजमेर की ओर से प्रस्तुत जमानत का यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा– 483 भा.ना.सु.सं. अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

9– उक्त आदेश की एक प्रति माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सुहास चकमा बनाम यूनियन आफ इण्डिया (रिट याचिका संख्या 1082/2020) में जारी निःशुल्क विधिक सहायता सुविधाओं के बारे में पारित निर्देशों की जानकारी हेतु मुलजिम को कवर शीट के साथ उपलब्ध कराने हेतु ईमेल अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, अजमेर को प्रेषित की जावें।

अपर सैशन न्यायाधीश क्रम 1,
अजमेर।

10– आदेश आज दिनांक 17 मार्च, 2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Authenticated Document

अपर सैशन न्यायाधीश क्रम 1,
अजमेर।

SHAILENDRA KRISHANA PAREEK

Digitally signed by SHAILENDRA KRISHANA PAREEK
Date: 2026.03.20 09:54:29 +0530

Authenticated Document